

गंगा विपक्षी उद्योग

मुकदमा नं. 17/15 पत्रावली संख्या 17/15 सन

कार्यवाही विवरण	हरताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>9/1/18 पत्रावली पेश हुई। कमील प्राधी/अपलाण्ट/ प्रतिवादी / विपक्षी / उपस्थित/पीठासीन- अधिकारी महोदयों का आदेश/पत्र/विधि में पधारें है। पत्रावली को आदेश की पारतना में दिनांक ...8/1/18...को पेश है।</p>	
<p>19/4/18 पत्रावली तलब की गई। राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2018" आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पशकारन को सूचित किया जाकर पत्रावली के दिनांक...5/5/18...को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर (SDO) मावली</p>	
<p>5/5/18 पत्रावली कैम्प उडगांव में पेश हुई। अपीलान्ट रु. 2 व रेस्पोंडेन्ट सं. 1, 2, 11, 12 द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा उपत्र पेश कर प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं घाटने से प्रकरण को ड्रॉप किया जाने का निवेदन किया। राजीनामा कमेठी द्वारा तस्वीक किया गया। अपीलान्ट सं. 1 गंगाबाई द्वारा दिनांक 02/06/2016 को 1000/- रुपये स्टाम्प पर इकरारनामा लिखकर प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं घाटने से अपीलान्ट के हिस्से लगे प्रकरण निरस्त किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से राजीनामा होने से प्रकरण में अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर (SDO) मावली</p>	<p>मि. बालक मंजीका उद्योग</p> <p>गो. लाल दि. 02/06/2016</p> <p>दि. 02/06/2016</p> <p>P.T.O</p>

अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते
हैं। अतः कोई कार्यवाही नहीं
चाहने से पत्रावली इसी स्तर
पर ड्रॉप की जाती है।
पत्रावली फैसल कुमार टोकर
नम्बर से कम है। पूर्व में
जारी अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई
जाती है। निर्णय सुनाया गया।




सहायक कलेक्टर
(SDO) महली